दस रुपये TEN RUPEES

208

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म0प्र0

~~निगरानी छतरपुर / भू.रा~~ / 2017

नि/निगरानी/छतरपुर/भू-रा/2017/2596

श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव, अभि. द्वारा आज दि. 11-8-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-8-17 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

01. शिव प्रसाद तनय श्री रामदास नट आयु 75 वर्ष
02. जमीना प्रसाद तनय श्री रामदास नट आयु 70 वर्ष
दोनो निवासीगण ग्राम राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0

..............निगरानीकर्तागण

बनाम

01. जीतेन्द्र वर्मा तनय श्री महावीर प्रसाद वर्मा आयु 35 वर्ष
02. धर्मेन्द्र वर्मा तनय श्री महावीर प्रसाद वर्मा आयु 30 वर्ष
दोनो निवासीगण ग्राम राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0
03. रामप्रसाद तनय श्री हरजू काछी निवासी राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0

...........गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्व तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश प्रकरण कमांक 01/अ–70/2014–15 मे पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 21.07.2017 से परिवेदित होकर।

महोदय,

आवेदक निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी पेश करते है–

01. यह कि भूमि खसरा नं0 2141/1/3 रकवा 0.405हे0 एवं खसरा नं0 2141/3 रकवा 2.832हे0 स्थित ग्राम राजनगर की आराजी है जिसके भूमि स्वामी अधिपत्यधारी निगरानीकर्तागण है तथा उक्त भूमि से लगी हुई उत्तरवादीगण की भूमि खसरा नं0 2141/1/1 रकवा 0.450हे0 एंव खसरा नं0 2141/1/4 रकवा 1.168हे0 स्थित है खसरा नं0 2141/1/3 रकवा 0.405हे0 निगरानीकर्तागण के पिता ने जरिये रजिस्ट्री विकय पत्र के उत्तरवादीगण के बाबा कालीचरण वर्मा से कय किया था तभी से उक्त भूमि निगरानीकर्तागण के स्वामित्व अधिपत्य मे चली आ रही है जिस पर अभी उर्दा की फसल खड़ी है जिसे निगरानीकर्ता द्वारा बोयागया है।

02. यह कि उत्तवादीगण द्वारा निगरानीकर्तागण के विरूद्व प्रकरण कमांक 1/अ–70/14–15 अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष वर्ष 2014–15 में दिनांक 19.10.2015 को पेश कर निवेदन किया था कि उक्त उत्तरवादी की भूमि खसरा नं0 2141/1/1 में से रकवा 0.100हे0 पर खसरा नं0 2141/1/4 रकवा 0.200हे0 पर निगरानीकर्तागण का तथा खसरा नं0 2141/1/4 के रकवा 0.100हे0 पर

कमशः//2//

बी.पी. खरे
एडवोकेट
जिला न्या.छतरपुर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2596 शिवप्रसाद विरूद्ध जीतेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 01/अ-70/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 21-07-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 11-08-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

18/1/19

(आर.के. जैन)
सदस्य